बिहार सरकार
<u>परिवहन विभाग</u>
पत्रांक– 01/विविध–08–27/2020, परि0 2225

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

<u>सभी जिलाधिकारी,</u>
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक– 18/4/2020

विषय– COVID–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन की अवधि में मालवाहक वाहनों के चालकों/हेल्परो की सुविधा हेतु राजमार्गों पर ढाबा खोलने की अनुमति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉकडाउन की अवधि दिनांक–03.05.2020 तक विस्तारित की गयी है। उक्त क्रम में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र सं0–40–3/2020–DM-1(A), दिनांक–15.04.2020 द्वारा विस्तृत निदेश निर्गत किये गए हैं, जिसकी प्रतिलिपि आपको इस कार्यालय के पत्रांक–2201, दिनांक–15.04.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

वर्णित पत्र की कंडिका–12 (vii) के अनुसार दिनांक–20.04.2020 के प्रभाव से राजमार्गों (Highways) पर ढाबा खोलने संबंधी निदेश इस प्रकार है :–

''Shops for truck repairs and dhabas on highways with a stipulated minimum distance as prescribad by the State/UT authorities''.

उक्त के संबंध में दिनांक–16.04.2020 को Crisis Management Group की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैं :–

1. जिलान्तर्गत प्रत्येक NH एवं SH पर शहर से कम से कम 10 कि0मी0 दूर ढाबा खोलने की अनुमति जिला पदाधिकारी द्वारा दी जाय।
2. NH/SH की लम्बाई अधिक होने पर प्रत्येक 15 कि0मी0 पर एक ढाबा खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
3. जिला पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही ढाबा खोला जाय।
4. सीमावर्ती जिलों के साथ समन्वय कर दो जिलों के बीच ढाबों की संख्या का निर्धारण एवं स्थल चिन्हित किया जाना श्रेयष्कर होगा। उक्त क्रम में यह ध्यान दिया जाएगा कि ढ़ाबा सड़क के दोनों ओर हों। जिलाधिकारी इनका समन्वय कर लें।
5. जिला प्रशासन द्वारा ढाबों पर मास्क का प्रयोग, साबुन से हाथ धोने, Sanitisation एवं Social Distancing का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित कराया जायेगा।
6. यह व्यवस्था की जाय कि चालक/हेल्पर ढ़ाबा से तैयार भोजन अपने वाहन में ले जाकर सेवन करे। ढ़ाबों में बैठकर भोजन करने की व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जाय, अन्यथा वहाँ अनावश्यक भीड़ होगी एवं Social Distancing का उल्लंघन होगा।

18/C:\Users\DELL\Desktop\123.docx

7. ढ़ाबा संचालकों के स्पष्ट निदेश दिया जाए कि वे यह सुनिश्चित करें कि एक समय में भोजन लेने हेतु अधिक संख्या में ट्रक/अन्य वाहन ढ़ाबा पर नहीं रूके।

8. ढाबा स्थलों पर पेट्रोलिंग कराकर यह भी सुनिश्चित किया जाय कि ढाबा पर स्थानीय लोग अनावश्यक रुप से एकत्रित न हों तथा समय–समय पर **Food Inspector** द्वारा भी गुणवता की जाँच भी करवा ली जाय।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

7. ढ़ाबा संचालकों के स्पष्ट निदेश दिया जाए कि वे यह सुनिश्चित करें कि एक समय में भोजन लेने हेतु अधिक संख्या में ट्रक/अन्य वाहन ढ़ाबा पर नहीं रूके।

8. ढाबा स्थलों पर पेट्रोलिंग कराकर यह भी सुनिश्चित किया जाय कि ढाबा पर स्थानीय लोग अनावश्यक रुप से एकत्रित न हों तथा समय–समय पर Food Inspector द्वारा भी गुणवता की जाँच भी करवा ली जाय।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विविध–08–27/2020, परि0 2225 पटना, दिनांक– 18/4/2020

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/4
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

19/C:\Users\DELL\Desktop\123.docx

7. ढ़ाबा संचालकों के स्पष्ट निदेश दिया जाए कि वे यह सुनिश्चित करें कि एक समय में भोजन लेने हेतु अधिक संख्या में ट्रक/अन्य वाहन ढ़ाबा पर नहीं रूके।

8. ढाबा स्थलों पर पेट्रोलिंग कराकर यह भी सुनिश्चित किया जाय कि ढाबा पर स्थानीय लोग अनावश्यक रुप से एकत्रित न हों तथा समय–समय पर **Food Inspector** द्वारा भी गुणवता की जाँच भी करवा ली जाय।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विविध–08–27/2020, परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विविध–08–27/2020, परि0 2225 पटना, दिनांक– 18/4/2020

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उपमहानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/4
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।